156

न्यायालय–श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

III/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/6331

1. सत्यभामा बाई पति श्री दयाराम खटिक
2. सुधीर कुमार पिता श्री दयाराम खटिक
3. राजेश कुमार पिता श्री दयाराम खटिक
4. संजीव कुमार पिता श्री दयाराम खटिक

सभी निवासी ग्राम रामपुर ग्राम पंचायत मलहदू

तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0 .... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. म0प्र0 शासर जरिये कलेक्टर उमरिया म0प्र0
2. माया देवी पति श्री अर्जुन दास निवासी रामपुर ग्राम पंचायत मलहदू तहसील पाली थाना पाली जिला उमरिया म0प्र0 .... गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री .... आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

10-11-17

निगरानी विरूद्व आलोच्य आदेश दिनांक 11/9/17 प्रकरण कमांक 08/स्वपुनरीक्षण 2015–16 न्यायालय कलेक्टर उमरिया म0प्र0

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नलिखित निवेदन करते हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 25 जनवरी 1983 को गैरपुनरीक्षणकर्ता कं0 2 माया देवी से जरिये रजि0विकय पत्र दिनांक 15/1/1983 को भूमि खसरा नं0 90/2 कय की थी तथा कय करने के पूर्व उक्त भूमि की स्वत्व संबंधी जांच में गैरपुनरीक्षणकर्ता कं0 2 के स्वत्व में कोई दोष न पाने के कारण निगराकार द्वारा सदभाविक केता के रूप में भूमि कय करके श्रीमान तहसीलदार पाली के

10/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भूरा/2017/6331

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.3.18	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता श्री विष्णुकांत तिवारी को तीन बार आवाज लगाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	